संख्या-72/2018/2784 ई-2/तेरह-2018-46/2017टी0सी0-3

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 10 अगस्त,2018

विषयः-छठवें चरण के व्यवस्थापन के बाद अवशेष दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31316/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2018-19, दिनांक 30 जुलाई,2018 तथा इस सम्बन्ध में दि0 07 अगस्त,2018 को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक के कार्यवृत्त पत्र संख्या-2667 ई-2/तेरह-2018-46/ 2017, दिनांक 07 अगस्त,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र में प्रेषित प्रस्ताव एवं अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2018-19 में छठवें चरण के व्यवस्थापन के उपरान्त अव्यवस्थित दुकानों के सातवें चरण के व्यवस्थापन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) प्रास्थिति से आच्छादित दुकानों का वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित एम0जी0क्यू0 अथवा वास्तविक उपभोग, जो अधिक हो, के 70 प्रतिशत एम0जी0क्यू0 पर निर्धारित करके ऐसे निर्धारित न्यूनतम वार्षिक एम0जी0क्यू0 पर ई-टेण्डर/ऑफर मांगकर व्यवस्थापन कराया जाय।

(2) देशी शराब की ऐसी अव्यवस्थित दुकानें जो उपरोक्त बिन्दु-1 से आच्छादित न हों, के वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित एम0जी0क्यू0 के 50 प्रतिशत के बराबर न्यूनतम एम0जी0क्यू0 निर्धारित करते हुये ऐसे न्यूनतम् निर्धारित वार्षिक एम0जी0क्यू0 पर ई-टेण्डर/ ऑफर मांग कर व्यवस्थापन कराया जाय।

(3) विदेशी मदिरा, बीयर व माडल शाप्स की निर्धारत लाइसेंस फीस में 50 प्रतिशत की कमी करके न्यूनतम वार्षिक लाइसेंस फीस निर्धारित करते हुये उस पर ई-टेण्डर/ऑफर मांग कर व्यवस्थापन कराया जाय।

(4) आवेदक द्वारा आवेदित दुकान की सप्तम चरण हेतु न्यूनतम स्तर पर निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस के सापेक्ष निर्धारित हैसियत का प्रमाण पत्र संलग्नक/अपलोड करना आवश्यक होगा न कि वर्ष 2018-19 हेतु पूर्व निर्धारित एम0जी0क्यू0/लाइसेंस फीस के सापेक्ष।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) देशी मदिरा की दुकान के संदर्भ में उपरोक्तानुसार चयनित ऑफर में प्राप्त सर्वाधिक वार्षिक एम0जी0क्यू0 (12 के गुणांक में) में से व्यपगत अवधि के एम0जी0क्यू0 को घटाकर वर्ष की अवशेष अवधि हेतु एम0जी0क्यू0 निर्धारित किया जाय तथा तद्नुसार बेसिक लाइसेंस फीस जमा कराई जाय। इसी प्रकार विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों व माडल शाप की अवशेष अवधि की लाइसेंस फीस संगत नियमावलियों के अनुसार निर्धारित की जाय।

(6) शेष शर्तें व अर्हताएं पूर्ववत् रखी जायं।

कृपया तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया
(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।